Vishv UMIYA Foundation | VUF INSTITUTE CIVIL SERVICES

DAILY CURRENT AFFAIRS

IN HINDI

SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION

DATE : 17-05-25

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Saturday, 17 May, 2025

Edition : International Table of Contents

Page 02 **Syllabus : GS 2 : Governance & Social Justice**	असम में मानव तस्करी और डायन-हंटिंग से निपटने के लिए नीति अधिसूचित की गई
Page 03 **Syllabus : GS 2 : Indian Polity**	राज्यपाल के फैसले में सुप्रीम कोर्ट की 3 महीने की समयसीमा केंद्र के अपने दिशा-निर्देशों से अपनाई गई
Page 05 **Syllabus : GS 3 : Environment**	सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंज़ूरी को खारिज कर दिया
Page 05 **Syllabus : GS 2 : International Relation**	'भारत अफ़गानिस्तान के साथ संबंध बनाने के लिए जो भी ज़रूरी होगा, वह करेगा'
Page 11 **Syllabus : GS 3 : Indian Economy**	'वित्त मंत्रालय लाभांश पर नज़र रखते हुए RBI बफ़र्स की समानांतर समीक्षा कर रहा है'
Page 06 : Editorial Analysis: **Syllabus : GS 2 : Social Justice**	पोषण परिणामों को बदलने के लिए घटक

Page 02 : GS 2 : Governance & Social Justice

6 मई, 2025 को असम सरकार ने "मानव तस्करी से निपटने और डायन-हंटिंग को समाप्त करने के लिए असम राज्य नीति" शीर्षक से एक व्यापक नीति अधिसूचित की। यह एक सक्रिय और अधिकार-आधारित कदम है जिसका उद्देश्य दो लगातार अपराधों मानव तस्करी और डायन-हंटिंग पर अंकुश लगाना है जो राज्य में महिलाओं और हाशिए के समुदायों को असंगत रूप से प्रभावित करते हैं।

Assam policy to fight human trafficking and witch-hunting notified

The Hindu Bureau
GUWAHATI

The Assam government on Friday announced the notification of a policy against human trafficking and witch-hunting, "two crimes that disproportionately" affect women and girls.

Taking to X, the Chief Minister's Office said the notification, issued by the Governor on May 6, would come into effect from the date the Assam State Policy to Combat Human Trafficking and End Witch-Hunting is published in the official gazette.

The CMO said the notification was a "significant move to safeguard human rights and uphold dignity". The policy seeks to "provide a safe and equal society wherein all individuals can claim their entitlements and access all services and lead a life free from all kinds of violence" through convergence and synergy among all departments to promote safety and security.

Social crime

The policy said Assam's geographical position – it borders six other Northeastern States, West Bengal, Bangladesh, and Bhutan – makes it critical in the case of human trafficking, an organised crime. Witch-hunting, a social crime, has been a major issue among tea plantation workers and ethnic communities such as the Rabhas.

नीति का महत्व

- मानवाधिकार और सम्मान: यह नीति मानवाधिकारों की सुरक्षा और सम्मान को बढ़ावा देने के सिद्धांतों पर आधारित है। तस्करी और डायन-हंटिंग की संरचनात्मक और सामाजिक जड़ों को संबोधित करके, यह संवैधानिक मूल्यों (अनुच्छेद 21 - जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के साथ संरेखित है।
- लिंग संवेदनशीलता: दोनों अपराध महिलाओं और लड़कियों को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं, जिससे यह नीति एक लिंग-संवेदनशील हस्तक्षेप बन जाती है जो एक सुरक्षित और अधिक न्यायसंगत समाज बनाने का प्रयास करती है।
- संस्थागत अभिसरण: नीति रोकथाम, संरक्षण, पुनर्वास और अभियोजन के लिए एक एकीकृत प्रतिक्रिया तंत्र सुनिश्चित करने के लिए पुलिस, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास सहित विभागों में तालमेल और अभिसरण को बढ़ावा देती है।

मुख्य चुनौतियाँ संबोधित की गईं

- मानव तस्करी: असम का रणनीतिक स्थान - पश्चिम बंगाल, छह पूर्वोत्तर राज्यों, बांग्लादेश और भूटान के साथ सीमा साझा करना - इसे मानव तस्करी के स्रोत, पारगमन और गंतव्य बिंदु के रूप में कमज़ोर बनाता है। यहाँ तस्करी अक्सर जबरन श्रम, बाल शोषण और यौन दासता से जुड़ी होती है।

- डायन-शिकार: एक गहरी सामाजिक बुराई, जो अक्सर अंधविश्वास, अशिक्षा और पितृसत्तात्मक मानदंडों से प्रेरित होती है। यह अपराध विशेष रूप से चाय बागान श्रमिकों और राभा जैसे स्वदेशी जातीय समुदायों में प्रचलित है, जहाँ पीड़ित ज़्यादातर महिलाएँ होती हैं जिन पर जादू-टोना करने का आरोप लगाया जाता है और उन्हें अमानवीय व्यवहार, यातना या हत्या का सामना करना पड़ता है।

नीति के निहितार्थ और भविष्य का दृष्टिकोण

- निवारक दृष्टिकोण: जागरूकता, सामुदायिक संवेदनशीलता और शिक्षा के माध्यम से - विशेष रूप से कमजोर क्षेत्रों में - नीति ऐसे अपराधों की सामाजिक-सांस्कृतिक नींव को खत्म करके रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करती है।
- संरक्षण और पुनर्वास: नीति पीड़ितों के लिए सुरक्षित स्थान, आघात परामर्श, कानूनी सहायता और पुनर्मिलन सहायता की कल्पना करती है, जो पीड़ित-केंद्रित न्याय प्रणाली में योगदान देती है।
- कानून प्रवर्तन और निगरानी: यह मौजूदा कानूनी ढाँचों (जैसे, आईपीसी प्रावधान, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम, असम विच हंटिंग (निषेध, रोकथाम और संरक्षण) अधिनियम, 2015) को मजबूत करने और पुलिस, न्यायपालिका और गैर सरकारी संगठनों के बीच बेहतर समन्वय को प्रोत्साहित करता है।
- सामुदायिक भागीदारी: समुदाय-आधारित निगरानी और सहायता नेटवर्क को शामिल करना एक महत्वपूर्ण नवाचार है, जो जमीनी स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित करता है और ऊपर से नीचे के तंत्र पर निर्भरता को कम करता है।

निष्कर्ष

- यह नीति असम में प्रतिक्रियात्मक से सक्रिय शासन में एक बड़ा बदलाव दर्शाती है। यह शोषण और अंधविश्वास में निहित अपराधों से निपटने के लिए लैंगिक न्याय, सामुदायिक विकास और अंतर-विभागीय समन्वय को एकीकृत करता है। इसकी सफलता प्रभावी कार्यान्वयन, निरंतर निगरानी और शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन पर निर्भर करेगी। यह समान चुनौतियों का सामना करने वाले अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल भी स्थापित करता है।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: मानव तस्करी और डायन-शिकार केवल आपराधिक कृत्य नहीं हैं, बल्कि गहरी संरचनात्मक और सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्तियाँ हैं।" इस कथन के प्रकाश में, मानव तस्करी से निपटने और डायन-शिकार को समाप्त करने के लिए हाल ही में अधिसूचित असम राज्य नीति का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। (250 words)

Page 03 : GS 2 : Indian Polity

सर्वोच्च न्यायालय ने 8 अप्रैल, 2024 को अपने निर्णय में कहा था कि राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत विचार के लिए आरक्षित राज्य विधानों पर तीन महीने के भीतर निर्णय लेना चाहिए। इस निर्णय को केंद्र ने राष्ट्रपति संदर्भ के माध्यम से चुनौती दी थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि संविधान में ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है और इसलिए इसे न्यायिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।

SC's 3-month timeline in Governor verdict was adopted from Centre's own guidelines

The court's April 8 judgment made it clear that it was adopting guidelines issued by the Ministry of Home Affairs through two Office Memorandums issued in 2016 fixing a three-month timeline for the President; the govt. had also posted directions for Central Ministries involved in the process

NEWS ANALYSIS

Krishnadas Rajagopal
NEW DELHI

The Centre, through the means of a Presidential Reference, has questioned the Supreme Court's decision in the Tamil Nadu Governor case to "impose" a three-month timeline for the President to decide on State legislations reserved for consideration under Article 201 by Governors.

The Reference wants the Supreme Court to answer whether a time limit could be imposed through a judicial order on the President when the Constitution did not prescribe it under Article 201.

However, the Supreme Court's April 8 judgment made it clear that it was merely adopting guidelines issued by the Ministry of Home Affairs (MHA) through two back-to-back Office Memorandums (OMs) issued in 2016 fixing a three-month timeline for the President.

"We deem it appropriate to adopt the timeline prescribed by the Ministry of Home Affairs in the aforesaid guidelines, and prescribe that the President is required to take a decision on the Bills reserved for his consideration by the Governor within a period of three months from the date on which such reference is received," Justice J.B. Pardiwala had observed in the Supreme Court verdict.

The recommendations made by the Sarkaria and Punchhi commissions and the guidelines framed by the Central government had collectively called for expediency in the disposal of references made by Governors to the President under Article 201.

The Supreme Court verdict had said that introducing timelines was in line with constitutional accountability. FILE PHOTO

The first OM of February 4, 2016, reproduced in the pages of the judgment, highlighted the "undue delay" caused in taking a final decision on State Bills despite clear guidelines.

"A time limit of maximum three months be strictly adhered to for finalising the Bills after their receipt from the State governments," the OM said.

The court detailed that the MHA, as the nodal Ministry, would refer the substantive issues involved in a State Bill to the appropriate Ministry at the Centre. Issues pertaining to the Bill's language, drafting or constitutional validity would be referred to the Union Law Ministry. The Ministry concerned with the substantive issues must report back to the MHA within 15 days. If there was a delay, the Ministry must assign reasons for it. Any failure to do so within a maximum period of a month would be understood to mean that it had no comments to offer.

"A perusal of the OM makes it clear that a timeline of three months has been prescribed for the decision on Bills reserved for the President. A time limit of three weeks has been prescribed for the disposal of ordinances of an urgent nature," Justice Pardiwala interpreted.

The second OM, also issued on February 4, 2016, said that objections, if any, raised by the Ministry concerned must be shared with the State government in question for its views or further clarifications.

"This is done with the object of apprising the Central Ministry of the clarifications of the State government on the matter. A time-limit of one month has been prescribed for the same," the judgment had said.

The State government had to cooperate with the one-month timeline, the court said, as delay would have the "ripple effect" of postponing the decision of the Centre on the matter.

"The idea of imposing timelines on the various stakeholders would not be antithetical or alien to the procedure that surrounds the discharge of constitutional functions under Article 201. The existence of the two Office Memorandums further substantiates such an interpretation," Justice Pardiwala had reasoned in the judgment.

पृष्ठभूमि - संविधान का अनुच्छेद 201:

- अनुच्छेद **201** उस प्रक्रिया से संबंधित है जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है। राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति दे सकते हैं या उसे अपनी सहमति नहीं दे सकते। हालांकि, संविधान में ऐसी कार्रवाई के लिए कोई समयसीमा स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई है।

सर्वोच्च न्यायालय का तर्क:

- **कार्यकारी दिशा-निर्देशों को अपनाना:**
  o न्यायालय ने अपना निर्णय नए कानून बनाने पर नहीं, बल्कि गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा **4** फरवरी, **2016** को जारी दो कार्यालय ज्ञापनों (ओएम) के माध्यम से पहले से जारी दिशा-निर्देशों पर आधारित किया।

  o इन ओएम में पहले से ही ऐसे विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए तीन महीने की समय-सीमा निर्धारित की गई थी, जिससे तात्कालिकता और जवाबदेही की भावना को संस्थागत रूप दिया जा सके।

- **आयोगों से समर्थन:**
  o सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग ने भी राज्यों में विधायी पक्षाघात से बचने के लिए राष्ट्रपति को भेजे गए विधेयकों के समय पर निपटान की आवश्यकता पर जोर दिया था।

- **संवैधानिक जवाबदेही:**
  o न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि समयसीमा लागू करना संवैधानिक मानदंडों के साथ असंगत नहीं है, क्योंकि यह संवैधानिक विश्वास और संघीय सहयोग को मजबूत करता है, यह सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका राज्य विधान में अनावश्यक रूप से देरी न करे।

- **कार्यात्मक तंत्र की रूपरेखा:**
  o न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि नोडल मंत्रालय के रूप में गृह मंत्रालय को संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और केंद्रीय कानून मंत्रालय के साथ कैसे समन्वय करना चाहिए।

  o एक विस्तृत आंतरिक प्रक्रिया **15** दिनों से एक महीने के भीतर पूरी की जानी है, जिसके बाद राष्ट्रपति से समग्र तीन महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेने की उम्मीद है।

राष्ट्रपति के संदर्भ के माध्यम से केंद्र की आपत्ति:

- केंद्र ने सवाल किया कि क्या न्यायपालिका राष्ट्रपति पर समय सीमा लगा सकती है, खासकर ऐसे क्षेत्र में जहां संविधान मौन है।
- तर्क शक्तियों के पृथक्करण और इस दावे पर आधारित है कि इस तरह के समयबद्ध ढांचे को निर्धारित करने में न्यायिक सक्रियता संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन कर सकती है।

विश्लेषण और निहितार्थ:

- **न्यायिक न्यूनतावाद और रचनात्मक व्याख्या:**
  o न्यायालय ने स्वतंत्र रूप से नई समयसीमाएँ नहीं बनाईं, बल्कि न्यायिक संयम और व्यावहारिक तर्क दिखाते हुए कार्यकारी दिशा-निर्देशों को अपनाया।
  o यह मौजूदा प्रशासनिक नियमों के साथ संवैधानिक प्रावधानों के सामंजस्यपूर्ण निर्माण को दर्शाता है।

- **सहकारी संघवाद को मजबूत करना:**

- o राज्य विधेयकों को मंजूरी देने में देरी से अक्सर कार्यकारी अधिकार का अतिक्रमण या विधायी गतिरोध पैदा होता है, खासकर तब जब राज्य और केंद्र पर अलग-अलग राजनीतिक दलों का शासन हो।
- o यह निर्णय केंद्र-राज्य विधायी संबंधों को सुव्यवस्थित करने का प्रयास करता है।

- **कार्यकारी जवाबदेही के लिए मिसाल:**
  - o यह मामला एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है, जहाँ कार्यकारी विवेक को संरचित समयसीमाओं के अधीन किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि राज्य विधान अनिश्चित काल के लिए रुका हुआ नहीं है।

- **अतिक्रमण के बिना संस्थागत अनुशासन:**
  - o न्यायालय का कदम राष्ट्रपति की शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं करता है, बल्कि मौजूदा प्रशासनिक तंत्र को अधिक समयबद्ध बनाता है, जिससे दक्षता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है।

निष्कर्ष:

- अनुच्छेद **201** के तहत आरक्षित राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति के लिए तीन महीने की समयसीमा लागू करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि संवैधानिक जवाबदेही को लागू करने और प्रक्रियात्मक दुरुपयोग को रोकने का प्रयास है। पहले से लागू कार्यकारी दिशा-निर्देशों पर अपने निर्देश को आधार बनाकर, न्यायालय ने संघवाद, दक्षता और समयबद्ध शासन के मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए संवैधानिक औचित्य को संरक्षित किया।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति की सहमति के लिए समय सीमा लागू करना न्यायिक अतिक्रमण नहीं बल्कि संवैधानिक जवाबदेही को सुदृढ़ करना है।" सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले के आलोक में चर्चा करें। (250 words)

Page : 05 : GS 3 : Environment

17 मई, 2024 को दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि भवन और निर्माण परियोजनाओं के लिए केंद्र द्वारा दी गई पूर्वव्यापी (पूर्वव्यापी) पर्यावरणीय मंज़ूरी (ईसी) घोर अवैध और पर्यावरणीय न्यायशास्त्र के विपरीत है। न्यायालय का यह फैसला वनशक्ति नामक एक पर्यावरण एनजीओ द्वारा दायर याचिका के जवाब में आया।

SC strikes down retrospective environmental clearances

Before starting a new project or expanding one, a clearance must be obtained, says court; concept of an *ex post facto* nod is in derogation of basic principles of environmental jurisprudence, it adds

Krishnadas Rajagopal
NEW DELHI

The Supreme Court on Friday held the grant of *ex post facto*,or retrospective, Environmental Clearances (EC) by the Centre to building projects and constructions a "gross illegality" and an anathema against which the courts must come down heavily.

A Bench of Justices A.S. Oka and Ujjal Bhuyan, in a judgment on a plea filed by Vanashakti, an NGO, restrained the Union government from granting *ex post facto* clearances in any form to regularise illegal constructions.

The court struck down the 2017 notification and 2021 Office Memorandum (OM) of the Centre, which in effect recognised the grant of *ex post facto* ECs, and connected government circulars, orders, and notifications as illegal and completely arbitrary.

However, the Bench clarified that ECs already granted till date under the 2017 notification and the 2021 OM would be unaffected by the judgment.

Accusing the Centre of "crafty drafting" to clear illegal constructions through retrospective ECs, the court said the government was only protecting project proponents who had committed gross illegality by commencing construction or operations in these illegal constructions without obtaining prior EC.

Judicial stand: Development cannot come at the cost of the environment, says the Supreme Court. FILE PHOTO

"Before undertaking a new project or expanding or modernising an existing one, an EC must be obtained... The concept of an *ex post facto* EC is in derogation of the fundamental principles of environmental jurisprudence and is an anathema to the EIA Notification of January 27, 1994," Justice Oka observed.

The judgment said the government had issued the 2017 notification despite a clear declaration of the law in favour of prior EC by the Supreme Court in the *Common Cause* judgment the same year.

"The reason why a retrospective EC or an *ex post facto* clearance is alien to environmental jurisprudence is that before the issuance of an EC, the statutory notification warrants a careful application of mind, besides a study into the likely consequences of a proposed activity on the environment," Justice Oka explained.

The effect of granting an *ex post facto* clearance would amount to giving permission to complete the construction of a project which had started without prior EC. In cases in which the construction was already completed and activities had begun, the retrospective EC would facilitate continuation.

Thus, in effect, the *ex post facto* EC regularised something which was illegal with retrospective effect.

Referring to the 2021 OM, the court said the Union government had "cleverly" avoided the words "*ex post facto*", but the provisions had the effect of allowing a retrospective regime.

"The 2021 OM talks about the concept of development. Can there be development at the cost of the environment? Conservation of the environment and its improvement is an essential part of the concept of development. Therefore, going out of the way by issuing such OMs to protect those who have caused harm to the environment has to be deprecated by the courts... Even the Central government has a duty to protect and improve the natural environment," Justice Oka underscored.

फैसले की मुख्य बातें:

- **2017** की अधिसूचना और **2021** के कार्यालय ज्ञापन को अमान्य करना: न्यायालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (**MoEFCC**) द्वारा जारी **2017** की अधिसूचना और **2021** के कार्यालय ज्ञापन को रद्द कर दिया, जो बिना पूर्व **EC** के निर्माण शुरू करने वाली परियोजनाओं के लिए पूर्वव्यापी मंज़ूरी को सक्षम बनाता था।
- मौजूदा मंज़ूरी प्रभावित नहीं: निर्णय ने अब अमान्य हो चुके **2017** और **2021** के उपकरणों के तहत पहले से दी गई **EC** की वैधता को बरकरार रखा, लेकिन भविष्य में किसी भी तरह की पूर्वव्यापी मंज़ूरी देने पर सख्ती से रोक लगा दी।
- पर्यावरण सिद्धांतों का उल्लंघन: न्यायालय ने घोषणा की कि पूर्वव्यापी मंज़ूरी एहतियाती और सतत विकास सिद्धांतों को कमजोर करती है, जो भारत के पर्यावरण न्यायशास्त्र के लिए केंद्रीय हैं।

सुप्रीम कोर्ट का तर्क:

- विकास बनाम पर्यावरण: न्यायालय ने दोहराया कि "विकास पर्यावरण की कीमत पर नहीं हो सकता"। पर्यावरण संरक्षण सतत विकास का एक अनिवार्य घटक है और अवैध निर्माणों के लिए कार्योत्तर कानूनी कवर के माध्यम से इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता है।
- पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) मानदंड: 1994 की ईआईए अधिसूचना का उल्लेख करते हुए, न्यायालय ने कहा कि ईसी का उद्देश्य संभावित और निवारक प्रकृति का होना चाहिए, जो परियोजना शुरू होने के बाद नहीं बल्कि पहले कठोर पर्यावरणीय जांच सुनिश्चित करे।
- सरकारी कार्यों की आलोचना: खंडपीठ ने सरकार के कदम को "चालाक मसौदा" करार दिया, जिसका उद्देश्य उल्लंघनकर्ताओं को कानूनी ढाल प्रदान करना था, जिन्होंने आवश्यक अनुमोदन के बिना संचालन शुरू कर दिया था।
  - o इसने यह भी उजागर किया कि कैसे **2021** के ओएम ने जानबूझकर "पूर्वव्यापी" शब्द से परहेज किया, जबकि अभी भी उसी पूर्वव्यापी प्रभाव को सक्षम किया गया है।

कानूनी और संवैधानिक महत्व:

- **अनुच्छेद** 21 **का उल्लंघन:**
  - o पूर्वव्यापी ईसीए प्रदान करना स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को कमजोर करता है, जिसे न्यायपालिका द्वारा अनुच्छेद **21** (जीवन का अधिकार) में पढ़ा गया है।
- **उचित प्रक्रिया की विफलता:**
  - o पर्यावरण मंजूरी देने की प्रक्रिया पारदर्शी, सहभागी और विशेषज्ञों के नेतृत्व वाली होनी चाहिए। पूर्वव्यापी अनुमोदन सार्वजनिक भागीदारी को खत्म कर देते हैं और विनियामक निरीक्षण के उद्देश्य को विफल कर देते हैं।
- **कॉमन कॉज जजमेंट** (2017) **से मिसाल:**
  - o न्यायालय ने बताया कि कॉमन कॉज मामले में उसके पहले के फैसले ने पहले से ही पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता को स्पष्ट कर दिया था, जिससे केंद्र की बाद की कार्रवाइयां और भी अधिक समस्याग्रस्त हो गईं।

निर्णय के निहितार्थ:

- पर्यावरण कानून के नियम को मजबूत करना: यह फैसला पर्यावरण उल्लंघनों के लिए कानूनी जवाबदेही को मजबूत करता है, जिससे परियोजना डेवलपर्स को पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया को दरकिनार करने से रोका जा सकता है।

- रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर प्रभाव: कई डेवलपर्स जिन्होंने पूर्व पर्यावरण मंजूरी के बिना निर्माण शुरू किया है या पूरा किया है, वे अब पूर्वव्यापी नियमितीकरण की मांग नहीं कर सकते हैं, जिससे संभावित रूप से विध्वंस, जुर्माना या बंद हो सकता है।
- कार्यकारी अधिकारियों को संदेश: यह फैसला संकेत देता है कि कार्यकारी आदेश और परिपत्र पर्यावरण सुरक्षा उपायों या न्यायिक मिसालों को दरकिनार नहीं कर सकते हैं।
- पर्यावरण सक्रियता को बढ़ावा: यह निर्णय नागरिक समाज संगठनों और पर्यावरण अधिवक्ताओं को प्रक्रियागत उल्लंघनों और अवैध निर्माणों को चुनौती देने के उनके अधिकार की पुष्टि करके उन्हें सशक्त बनाता है।

निष्कर्ष:

- पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंज़ूरी को रद्द करने का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भारत में पर्यावरण शासन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह पर्यावरण न्याय, न्यायिक मिसाल और संवैधानिक कर्तव्य की प्रधानता को बनाए रखता है। यह निर्णय सुनिश्चित करता है कि विकास पारिस्थितिक अखंडता की कीमत पर नहीं किया जाता है, जिससे देश में पर्यावरण न्यायशास्त्र और कानून का शासन दोनों मजबूत होते हैं।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंज़ूरी पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) के मूल उद्देश्य को ही नष्ट कर देती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में, पर्यावरण संरक्षण में पूर्व मंज़ूरी की भूमिका की जाँच करें। (15 marks)

Page 05 : GS 2 : International Relation

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने हाल ही में तालिबान शासन के तहत अफ़गानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मावलवी आमिर खान मुत्ताकी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। यह बातचीत, मानवीय सहयोग को गहरा करने की भारत की तत्परता के साथ, अगस्त 2021 में तालिबान के अधिग्रहण के बाद भारत की अफ़गानिस्तान नीति में एक व्यावहारिक बदलाव का संकेत देती है।

मुख्य घटनाक्रम:

- **भारत का कूटनीतिक रुख:**
  भारत ने तालिबान शासन को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है, लेकिन व्यावहारिक राष्ट्रीय हितों से प्रेरित चुनिंदा कूटनीति में संलग्न होकर एक "नया सामान्य" दृष्टिकोण अपना रहा है।
  o अधिकारियों ने अफ़गानिस्तान में भारत की रणनीतिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए औपचारिक मान्यता से कम "साहसिक कदम" उठाने का संकेत दिया है।

- **मानवीय कूटनीति:**
  o भारत मानवीय सहायता का विस्तार करने पर विचार कर रहा है, विशेष रूप से पाकिस्तान द्वारा दबाव में वापस लाए गए अफ़गान शरणार्थियों के लिए।
  o यह राजनीतिक बदलावों के बावजूद अफ़गान लोगों के प्रति भारत के सॉफ्ट पावर दृष्टिकोण और निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- **सामरिक संपर्क - चाबहार बंदरगाह:**
  o दोनों पक्षों ने ईरान में चाबहार बंदरगाह के माध्यम से सहयोग पर चर्चा की, जो भारत की क्षेत्रीय रणनीति में एक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान की सीमा के माध्यम से व्यापार पर प्रतिबंध लगा रखा है।
  o चाबहार पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए मध्य एशिया तक वैकल्पिक पहुँच प्रदान करता है और क्षेत्रीय आर्थिक संबंधों को बनाए रखने में भारत की रुचि की पुष्टि करता है।

'India to do whatever is necessary to build ties with Afghanistan'

Kallol Bhattacherjee
NEW DELHI

A day after External Affairs Minister S. Jaishankar held a telephone conversation with the 'Acting Afghan Foreign Minister' Mawlawi Amir Khan Muttaqi, officials here said India would undertake "bold moves" on Afghanistan and "do whatever is necessary" in near future to establish stronger relation with the Taliban-ruled country.

As part of that process, South Block will consider the possibility of extending humanitarian assistance to the Afghan refugees who have been forcefully repatriated by Pakistan.

On Thursday, Mr. Jaishankar, in his conversation with Mr. Muttaqi, indicated that India would deepen humanitarian support to Afghanistan, which has been under Taliban rule since August 2021. Sources informed that some of the requirements of the Taliban administration had been under consideration in India and that Mr. Muttaqi had raised the requirements of Afghanistan with Foreign Secretary Vikram Misri when the two met in Dubai on January 8.

Officials here said that short of formal recognition, India will make a "bold move" on Taliban-controlled Afghanistan and that New Delhi attached "lot of significance" to the Jaishankar-Muttaqi conversation as it came against the backdrop of the upcoming visit of Mr. Muttaqi to Iran and China.

Mr. Muttaqi and Mr. Jaishankar had discussed cooperation with the Taliban to take advantage of the Chabahar port in Iran, which is acquiring greater importance as India has banned trade through the Pakistan border. India had cleared 160 Afghan trucks carrying dry fruits and nuts through Attari but these vehicles remained stranded on the Pakistani side till Friday, when Pakistan allowed them to enter India.

'New normal'

The Taliban have described Mr. Muttaqi's multi-nation visit next week as part of Afghanistan's "active foreign policy" which has been shaping up Kabul's "balanced" posture in South Asia. Officials here indicated that India is willing to do "whatever is necessary" regarding the Taliban in the present context, which has been described as a "new normal" by the External Affairs Ministry.

- **भू-राजनीतिक निहितार्थ:**
  o यह बातचीत श्री मुत्ताकी की चीन और ईरान की योजनाबद्ध यात्राओं से पहले हुई है, जो अफगानिस्तान की बढ़ती क्षेत्रीय भागीदारी और भारत के हितधारक बने रहने के इरादे को दर्शाता है।
  o भारत का यह कदम अफगानिस्तान में बढ़ते चीनी और पाकिस्तानी प्रभाव का मुकाबला करता है और भू-राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने के प्रयास को दर्शाता है।

विश्लेषण - भारत का यथार्थवादी विदेश नीति दृष्टिकोण:

- मान्यता के बिना हितों को संतुलित करना: भारत एक यथार्थवादी रणनीति तैयार कर रहा है - औपचारिक मान्यता के माध्यम से शासन को वैध बनाए बिना व्यापार, मानवीय सहायता और क्षेत्रीय संपर्क जैसे व्यावहारिक मुद्दों पर तालिबान से जुड़ना।
- मानवीय लाभ: अफगान शरणार्थियों की सहायता करके और सहायता प्रदान करके, भारत एक विश्वसनीय क्षेत्रीय भागीदार के रूप में अपनी छवि को मजबूत करता है और अफगान लोगों के बीच सद्भावना सुनिश्चित करता है।
- सामरिक स्वायत्तता: चाबहार जैसे विकल्पों पर भारत का जोर सामरिक स्वायत्तता को बढ़ाता है और पाकिस्तान पर निर्भरता को कम करता है, जो दीर्घकालिक भू-राजनीतिक और आर्थिक लक्ष्यों के साथ संरेखित होता है।

चुनौतियाँ:

- मानवाधिकारों और महिलाओं की स्वतंत्रता पर इसकी प्रतिगामी नीतियों के कारण तालिबान के साथ जुड़ना नैतिक, सुरक्षा और कूटनीतिक जोखिमों से भरा है।
- एक अपरिचित और विवादास्पद शासन के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के बारे में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संदेह बना हुआ है।

निष्कर्ष:

- तालिबान शासित अफगानिस्तान तक भारत की पहुँच उभरती क्षेत्रीय वास्तविकताओं के जवाब में एक रणनीतिक पुनर्संयोजन का प्रतिनिधित्व करती है। औपचारिक मान्यता के खिलाफ अपने सैद्धांतिक रुख को बनाए रखते हुए, भारत लक्षित जुड़ाव, मानवीय सहायता और चाबहार जैसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं के माध्यम से अपने हितों की रक्षा करना चाहता है। यह अफगानिस्तान में आदर्शवादी से यथार्थवादी विदेश नीति के दृष्टिकोण में परिवर्तन का प्रतीक है, जो क्षेत्रीय भूराजनीति और जमीनी स्तर की अनिवार्यताओं की सूक्ष्म समझ से आकार लेता है।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: तालिबान शासित अफ़गानिस्तान के साथ भारत का जुड़ाव विदेश नीति में आदर्शवाद से यथार्थवाद की ओर बदलाव को दर्शाता है। हाल के घटनाक्रमों के आलोक में, 2021 के बाद अफ़गानिस्तान के प्रति भारत के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। (250 words)

Page 11 : GS 3 : Indian Economy

वित्त मंत्रालय कथित तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आर्थिक पूंजी ढांचे (ईसीएफ) की समानांतर समीक्षा कर रहा है, जिसमें आकस्मिक जोखिम बफर (सीआरबी) पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जो यह निर्धारित करता है कि सरकार को अधिशेष या लाभांश हस्तांतरित करने से पहले केंद्रीय बैंक को कितने भंडार बनाए रखने चाहिए।

- यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब सरकार क्षेत्रीय सुरक्षा तनावों के बीच, विशेष रूप से बढ़े हुए रक्षा खर्च को समायोजित करने के लिए अधिक राजकोषीय लचीलेपन की तलाश कर रही है।

'FinMin undertaking parallel review of RBI buffers with eye on dividends'

Since January, RBI officials are said to be reviewing the central bank's Economic Capital Framework; a lower Contingency Risk Buffer would mean higher transfers to the govt., which is reportedly seeking to hike its defence expenditure this year

T.C.A. Sharad Raghavan
NEW DELHI

The Ministry of Finance is taking direct interest in the Reserve Bank of India's (RBI) review of its rules pertaining to capital buffers, which affect how much dividend it can send to the government, *The Hindu* has learnt.

Since January this year, RBI officials have been reviewing the central bank's Economic Capital Framework (ECF).

The ECF was last reviewed in 2018 by a committee headed by former RBI Governor Bimal Jalan, which recommended that the bank's Contingency Risk Buffer (CRB) should be 5.5-6.5% of the RBI's balance sheet. Once these levels are met, the rest is to be transferred to the government as surplus or dividend. The CRB is a precautionary fund against a crisis that could hurt financial stability.

Strengthening coffers: A higher surplus would certainly give the government greater fiscal flexibility, said an official. REUTERS

A lower CRB would mean higher transfers to the government, which is reportedly seeking to hike its defence expenditure this year due to the ongoing tensions with Pakistan.

The Ministry of Finance is conducting a "parallel" review process to arrive at its own findings on the buffers, a government official told *The Hindu*.

On Thursday, the RBI announced that its central board had held its 615th meeting and that it had reviewed the ECF. "The RBI's review process is parallel and our review process is running parallel," the government official aware of the developments told *The Hindu*. "There is a perception that the Jalan committee recommendations on the kind of buffers the RBI must maintain were too conservative, and that there might be scope to lower these. Let us see what the RBI decides, but government will also form its view."

The recommendations of the Jalan committee were adopted in 2019.

"The government is not worried about its finances, even if defence expenditure is hiked," the official asserted. "But, if the RBI can send a higher surplus while also maintaining adequate safety buffers as per its own assessment, then this higher surplus would certainly give us [the government] greater fiscal flexibility."

आर्थिक पूंजी ढांचा (ईसीएफ) क्या है?

- ईसीएफ यह निर्धारित करता है कि वित्तीय स्थिरता की रक्षा के लिए आरबीआई को कितनी पूंजी और जोखिम बफर रखने की आवश्यकता है।
- इसकी अंतिम समीक्षा बिमल जालान समिति (**2018-19**) द्वारा की गई थी, जिसने सिफारिश की थी कि सीआरबी को आरबीआई की बैलेंस शीट के **5.5%-6.5%** के बीच बनाए रखा जाना चाहिए।
- इस स्तर से ऊपर अधिशेष को लाभांश के रूप में सरकार को हस्तांतरित किया जा सकता है।

मुख्य मुद्दा: आकस्मिक जोखिम बफर (CRB)

- सीआरबी वैश्विक संकट, विनिमय दर में अस्थिरता या चूक जैसे वित्तीय झटकों के खिलाफ बीमा के रूप में कार्य करता है।
- वर्तमान बहस में यह शामिल है कि क्या जालान समिति द्वारा सुझाई गई सीआरबी सीमा बहुत रूढ़िवादी है, जिससे केंद्र को लाभांश हस्तांतरण की मात्रा सीमित हो जाती है।
- कम सीआरबी सीमा अधिक अधिशेष हस्तांतरण की अनुमति देगी, जिससे सरकार को राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों का औपचारिक रूप से उल्लंघन किए बिना अधिक राजकोषीय गुंजाइश मिलेगी।

वित्त मंत्रालय की रुचि:

- जबकि **RBI** स्वतंत्र रूप से **ECF** की समीक्षा कर रहा है, वित्त मंत्रालय समानांतर मूल्यांकन कर रहा है, जो संभवतः **CRB** को नीचे की ओर संशोधित करने में संस्थागत रुचि का सुझाव देता है।
- सरकार का यह कदम कथित तौर पर भू-राजनीतिक तनावों, विशेष रूप से पाकिस्तान के साथ, के मद्देनजर उच्च रक्षा आवंटन आवश्यकताओं से जुड़ा है।

राजकोषीय नीति के लिए निहितार्थ:

- अधिक राजकोषीय गुंजाइश: आरबीआई से उच्च लाभांश मिलने से सरकार को व्यय में लचीलापन मिलेगा, विशेष रूप से गैर-उत्पादक या पूंजी-गहन शीर्षों जैसे रक्षा पर, बिना अतिरिक्त उधार लिए।
- केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता के लिए जोखिम: **CRB** को संशोधित करने या लाभांश नीति को प्रभावित करने के लिए सरकार का दबाव केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता के बारे में चिंताएँ बढ़ाता है, जो भारत के राजकोषीय-मौद्रिक संबंधों में एक लंबे समय से चली आ रही समस्या है।
- बाजार का विश्वास और मैक्रो स्थिरता: यदि **CRB** को बहुत अधिक कम किया जाता है, तो **RBI** की भविष्य के आर्थिक झटकों को अवशोषित करने की क्षमता कमजोर हो सकती है, जो संभवतः निवेशकों के विश्वास और लंबी अवधि में भारत की मैक्रोइकॉनोमिक स्थिरता को प्रभावित कर सकती है।
- अधिशेष हस्तांतरण के राजनीतिकरण की मिसाल: कार्यकारी द्वारा समानांतर समीक्षा आरबीआई के नेतृत्व वाली निर्णय-प्रक्रिया की संस्थागत अखंडता को कमजोर कर सकती है। यह प्रवृत्ति भविष्य के नीति समन्वय के लिए एक चिंताजनक मिसाल कायम कर सकती है।

निष्कर्ष:

- आरबीआई के आकस्मिक जोखिम बफर और अधिशेष हस्तांतरण पर चल रही बहस राजकोषीय जरूरतों और वित्तीय विवेक के बीच नाजुक संतुलन को दर्शाती है। जबकि उच्च लाभांश अल्पकालिक बजटीय दबावों को कम कर सकते हैं, विशेष रूप से बढ़े हुए रक्षा खर्च के लिए, किसी भी निर्णय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरबीआई की वित्तीय स्वायत्तता और संकट के प्रति लचीलापन से समझौता न हो। आरबीआई और वित्त मंत्रालय के बीच एक पारदर्शी, परामर्श प्रक्रिया मैक्रो-इकोनॉमिक स्थिरता और संस्थागत विश्वसनीयता दोनों को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण होगी।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: संघीय अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता के साथ राजकोषीय लचीलेपन को संतुलित करना एक नाजुक काम है। RBI के आकस्मिक जोखिम बफर पर हाल ही में हुई बहस के मद्देनजर, RBI से सरकार को अधिशेष हस्तांतरण के निहितार्थों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। (250 words)

Page : 06 Editorial Analysis

The ingredient to turn around nutrition outcomes

Divya Bharti

is a Researcher and Faculty Associate, KIIT School of Management

The analysis of India's free foodgrain programme for 800 million people underscores a grim reality: that hunger and malnutrition remain pressing concerns. Yet, in India's long battle against malnutrition, women and girls remain the most overlooked section. Despite steady economic progress and numerous welfare schemes, nutritional inequality continues to be deeply gendered. Launched in 2018 with the vision of a malnutrition-free India by 2022, the Prime Minister's Overarching Scheme for Holistic Nourishment (POSHAN) Abhiyaan has the aim of improving nutrition for pregnant women, lactating mothers, adolescent girls, and young children. However, stark disparities persist.

Structural failures

The National Family Health Survey (NFHS)-5 reveals that 57% of women in the age group 15 to 49 years are anaemic, in comparison to 26% of men; nearly one in five women are underweight. In other words, women are far more likely to be malnourished than men in India. These figures point to structural failures in how we address nutrition. Even after merging schemes into 'POSHAN 2.0' and investing heavily, the needle has not moved enough for women.

Indeed, POSHAN Abhiyaan is India's largest nutrition programme with a hefty budget. In 2022-23, the Ministry of Women and Child Development was allocated nearly ₹24,000 crore for Saksham Anganwadi and Poshan 2.0, but by December 2022, only 69% of those funds had been utilised. Despite such spending, the prevalence of anaemia among women actually rose from 53% to 57% between the last two NFHS rounds, and about 18.7% of women remain underweight.

This contrast suggests that just pumping in resources into a women-centric nutrition scheme is not enough. In many Indian households, especially the poorer ones, women's nutritional needs are literally last in line. Entrenched cultural norms often mean that when food is scarce, women and girls eat least and last. Thus, malnutrition is not just a biomedical or food-supply issue; it is a social justice issue. If a woman lacks economic independence or decision-making power, she may have little control over her diet and health. Even government data underscores this link: the NFHS-5 found that 49% of women lack decision-making power over how their own earnings are spent. This financial dependence often translates into compromised nutrition – a result of gender-based deprivation.

Empowering women financially is an effective way to improve the nutritional outreach in India

The issue of empowerment

Studies have shown that empowering women financially is one of the most effective ways to improve nutrition. Nobel laureate Esther Duflo, for instance, finds that when women control extra income, they are more likely to spend it on nutrition and children's well-being. In a study we conducted among low-income communities, we observed that women with even a modest independent income or control over household spending were far less likely to be undernourished.

The missing piece in India's nutrition puzzle is women's economic and social empowerment. The state of women's employment suggests that female labour force participation has risen from about 23% in 2017-18 to around 33% in 2021-22 – a positive shift on paper. But a vast majority of working women are in insecure, low-paying jobs. According to the Periodic Labour Force Surveys, as of 2021-22 only 5% of working women held a regular salaried job, while nearly 20% were self-employed (mostly in small-scale or informal activities). Moreover, self-employed women earned on average 53% less than men in similar work. In effect, many women who do work are barely earning enough to survive, employment has not yet translated into the power to make decisions or invest in their own nutrition and well-being.

Thus, it is not enough to get women into the workforce; the quality and security of their jobs matter just as much. Without skills training, equal pay, and access to stable employment, women remain economically vulnerable even when they work.

As a result, even well-intentioned nutrition programmes such as POSHAN will have limited impact if women cannot afford or are not empowered to consume the nutritious food being provided. Government reports praise Poshan Abhiyaan for creating awareness and a "Jan Andolan" around nutrition, but awareness alone cannot fill an empty stomach.

Need for convergence

If POSHAN 2.0 aims to eliminate undernutrition, it should work in tandem with schemes that boost women's incomes and status. First, it must set measurable targets not just for reducing anaemia or stunting, but also for increasing the proportion of women with independent incomes and decision-making power. Second, it must break the silos, making sure that nutrition, health, and livelihood departments work together on joint interventions in high-malnutrition districts. Third, it must use Anganwadi centres and health workers to not only distribute food and supplements but also to connect women with skill training, credit schemes, or job opportunities. An Anganwadi can double as a one-stop hub for women's welfare (meals, antenatal care, financial literacy workshops).

Ultimately, a malnutrition-free India will be possible only when women are not seen as passive beneficiaries of nutrition schemes but as active agents driving the health and the prosperity of their families.

Paper 02 : सामाजिक न्याय

UPSC Mains Practice Question : भारत में कुपोषण केवल भोजन या स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, बल्कि लैंगिक सामाजिक न्याय की समस्या है।" इस कथन के प्रकाश में, पोषण अभियान की प्रभावशीलता की आलोचनात्मक जांच करें। (250 words)

संदर्भ:

- पोषण अभियान जैसी महत्वाकांक्षी पहलों और बढ़े हुए सार्वजनिक व्यय के बावजूद, भारत में महिलाओं और लड़कियों में कुपोषण चिंताजनक रूप से उच्च बना हुआ है। द हिंदू में दिव्या भारती द्वारा हाल ही में किए गए विश्लेषण में पोषण में गहरी जड़ें जमाए हुए लैंगिक असमानताओं पर प्रकाश डाला गया है और तर्क दिया गया है कि महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक अशक्तता को संबोधित किए बिना, कुपोषण के खिलाफ भारत की लड़ाई अधूरी है।

उजागर किए गए प्रमुख मुद्दे:

- **पोषण में लगातार लैंगिक अंतर:**
  o एनएफएचएस-5 के आंकड़ों से पता चलता है कि 15-49 वर्ष की आयु की 57% महिलाएँ एनीमिया से पीड़ित हैं, जबकि एनएफएचएस-4 में यह 53% था।
  o लगभग 5 में से 1 महिला कम वजन की है, जो संरचनात्मक अभाव को दर्शाता है।
  o इसकी तुलना में, समान आयु वर्ग के केवल 26% पुरुष एनीमिया से पीड़ित हैं।

- **पोषण अभियान - बड़ा बजट, सीमित प्रभाव:**
  o 24,000 करोड़ रुपये (2022-23) से अधिक के आवंटन के साथ भारत का प्रमुख पोषण कार्यक्रम होने के बावजूद, दिसंबर 2022 तक केवल 69% धनराशि का उपयोग किया गया।
  o पोषण स्तरों में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है, जो खाद्य प्रावधान से परे गहरे सामाजिक मुद्दों को दर्शाता है।

संरचनात्मक और सांस्कृतिक बाधाएँ:

- **सांस्कृतिक मानदंड**:
  o कई घरों में, महिलाएँ पितृसत्तात्मक मानदंडों के कारण, विशेष रूप से खाद्य-असुरक्षित स्थितियों में, "सबसे कम और सबसे आखिर में" खाती हैं।

- **स्वायत्तता का अभाव:**
  o लगभग 49% महिलाओं का अपनी कमाई पर कोई नियंत्रण नहीं है, जो वित्तीय निर्भरता और सीमित आहार विकल्प को दर्शाता है।
- **रोज़गार विरोधाभास:**
  o हालाँकि महिला श्रम शक्ति भागीदारी 33% तक बढ़ गई है, लेकिन अधिकांश महिलाएँ अनौपचारिक, असुरक्षित, कम वेतन वाली नौकरियों में काम करती हैं, जिनकी बचत, ऋण या सामाजिक सुरक्षा तक सीमित पहुँच है।

सशक्तिकरण क्यों मायने रखता है:

- **आय और पोषण के बीच संबंध:**
  o एस्तेर डुफ्लो द्वारा किए गए अध्ययनों सहित, यह दर्शाता है कि जब महिलाएँ आय पर नियंत्रण रखती हैं, तो वे इसे पोषण, स्वास्थ्य सेवा और बच्चों के कल्याण पर खर्च करने की अधिक संभावना रखती हैं।
  o क्षेत्र अनुसंधान पुष्टि करता है कि मामूली वित्तीय स्वतंत्रता भी महिलाओं की पोषण स्थिति में उल्लेखनीय सुधार करती है।
- **नौकरी की गुणवत्ता मायने रखती है:**
  o केवल कार्यबल की भागीदारी बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। कौशल प्रशिक्षण, नियमित रोजगार और वेतन समानता पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
  o इनके बिना, आर्थिक भेद्यता बनी रहती है और पोषण संबंधी परिणाम स्थिर रहते हैं।

आगे का रास्ता - अभिसारी और समग्र दृष्टिकोण:

- **एकीकृत लक्ष्य:**
  - o पोषण 2.0 में न केवल स्वास्थ्य परिणामों (एनीमिया, बौनापन) के लिए बल्कि महिलाओं की आय, संपत्ति के स्वामित्व और स्वायत्तता के लिए भी मापने योग्य लक्ष्य शामिल होने चाहिए।
- **विभागीय तालमेल:**
  - O उच्च बोझ वाले जिलों में पोषण, स्वास्थ्य और आजीविका योजनाओं को एकीकृत करके नौकरशाही की खाई को तोड़ना।
- **आंगनवाड़ियों को मजबूत बनाना:**
  - o आंगनवाड़ी केंद्रों को बहु-सेवा केंद्रों के रूप में कार्य करना चाहिए, महिलाओं को निम्नलिखित से जोड़ना चाहिए:
    - पोषण और स्वास्थ्य सेवा
    - कौशल विकास
    - ऋण और उद्यमिता के अवसर
    - कानूनी और वित्तीय साक्षरता

- **महिलाओं को एजेंट के रूप में मान्यता देना:**
  - o महिलाओं को निष्क्रिय लाभार्थियों के रूप में देखने से हटकर उन्हें घरेलू और राष्ट्रीय कल्याण में सक्रिय योगदानकर्ता के रूप में मान्यता देने के लिए नीतिगत ध्यान केंद्रित करना।

निष्कर्ष:

- भारत की पोषण समस्या केवल भोजन के बारे में नहीं है - यह समानता, सशक्तिकरण और प्रणालीगत सुधार के बारे में है। पोषण अभियान जैसी योजनाओं को कैलोरी और सूक्ष्म पोषक तत्वों के प्रावधान से आगे बढ़कर भारतीय महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं को संबोधित करना चाहिए। कुपोषण मुक्त भारत तभी संभव है जब महिलाओं को अपने स्वास्थ्य, वित्त और भविष्य की जिम्मेदारी लेने का अधिकार दिया जाए। इसके लिए एक समग्र, लिंग-संवेदनशील दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जहाँ पोषण और सशक्तिकरण को अविभाज्य लक्ष्य माना जाता है।